

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं० 0141-2744283, फ़ैक्स नं० 0141-2740588, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com



“गुरु वशिष्ठ पुरस्कार”

(खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले पुरस्कार के नियम)

1. प्रस्तावना :-

इस नियम को खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत्त “गुरु वशिष्ठ पुरस्कार नियम” कहा जायेगा।

2. उद्देश्य :-

इस पुरस्कार का उद्देश्य खेल और खेलों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना है।

3. परिभाषाएँ :-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- अ. “नियम” से आशय खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत्त “गुरु वशिष्ठ पुरस्कार” के नियम।
- ब. “समिति” से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति।
- स. “पुरस्कार” से आशय “गुरु वशिष्ठ पुरस्कार”।
- द. “अध्यक्ष” से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति के अध्यक्ष।
- य. “परिषद” से आशय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर।
- र. “खेल प्रशासक” से आशय वह व्यक्ति जो खेलों के प्रबंधन/राष्ट्रीय प्रशासन/ अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, खेल संस्थाएं जिसमें निजी खेल अकादमियां, खेल योजनाएं तथा जो खेलों के लिए सेवाएं देते हो।

4. पात्रता :-

- 4.1 परिषद के ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने NSNIS डिप्लोमा किया हो तथा इनके उत्कृष्ट कार्य को परिषद द्वारा सराहना की गई हो। इसके अलावा ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने अन्य प्रकार से अंशकालीन व पूर्णकालीन प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किये हो। ऐसे प्रशिक्षक को जिनके खिलाड़ियों ने वर्तमान वर्ष व विगत तीन वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, को यह सम्मान दिया जाएगा।

4.2 इस पुरस्कार हेतु प्रशिक्षकों द्वारा तैयार खिलाड़ियों ने निम्नलिखित श्रेणी के तहत प्रदर्शन किया हो -

- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता,
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी, एवं
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता

5. नामांकन :-

- 5.1 प्रतिवर्ष परिषद् से मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय खेल संघों के सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संघों, राजस्थान ओलम्पिक संघ अथवा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र से अप्रैल माह में पुरस्कारों के लिए अपने-अपने खेल में परिषद् द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। इन आवेदनों के जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल या अप्रैल माह का आखरी कार्य दिवस होगा। ये संस्थाएँ अधिकतम 2 योग्य प्रशिक्षकों के आवेदन दे सकती हैं। 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन मान्य नहीं होंगे अथवा प्रथम 2 प्रशिक्षकों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
- 5.2 संबंधित संस्थाएँ सभी आवेदन एक साथ और नियमों में उपरोक्त निर्धारित संख्या में ही भेजेंगे। 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन पर प्रथम 2 प्रशिक्षकों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
- 5.3 संस्थाओं से 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन प्राप्त होने पर भी अगर कोई योग्य आवेदन आये तो परिषद् अपने सुरक्षित अधिकार के तहत विचार कर सकती है।
- 5.4 नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नानुसार होंगे -
- (i) राजस्थान ओलम्पिक संघ - अध्यक्ष/महा-सचिव।
 - (ii) राज्य खेल संघ - अध्यक्ष/महा-सचिव/अवैतनिक
 - (iii) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र - खेल अधिकारी/प्रभारी
 - (iv) खेल रत्न अवार्डी
 - (v) अर्जुन अवार्डी
 - (vi) द्रोणाचार्य अवार्डी
 - (vii) गुरु वशिष्ठ अवार्डी
- 5.5 उपरोक्त वर्णित बिन्दू 5.4 के पदाधिकारी के अलावा नामांकन किये हुये अन्य किसी भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.6 यह पुरस्कार उसी कलैण्डर वर्ष के लिए किये जायेंगे जिस वर्ष के लिए यह आमंत्रित किये गये हैं।
- 5.7 पिछले 4 वर्षों के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी का प्रदर्शन पर प्रशिक्षक परिषद् द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में ही आवेदन/नामांकन कर भेजा जायेगा।

- 5.8 आवेदन भेजने वाली संस्थाओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि नामांकन करने वाले प्रशिक्षक अनुशासित हैं अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं हैं। अगर कोई प्रशिक्षक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी निजी संस्था में कार्यरत है तो आवेदन भेजने वाली संस्था इन सभी से यह प्रमाणित करवा ले कि नामांकन करने वाले प्रशिक्षक अनुशासित हैं अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं हैं। यदि आवेदन करने वाले प्रशिक्षक के खिलाफ नियुक्ता द्वारा कोई आरोप पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो उससे संबंधित पूर्ण की गई/लम्बित कार्यवाही का विवरण भी नियुक्ता से प्राप्त किया जावे। समिति द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्रशिक्षक अनुशासित है।
- 5.9 खेल संघों के अलावा प्राप्त आवेदनों को संबंधित महासंघ/भारतीय ओलम्पिक संघ को भेजकर सत्यापन करेंगे कि आवेदन करने वाले प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी की उपलब्धियों का पूर्ण विवरण अथवा प्रशिक्षक व उसके प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है। जैसे कि चेतावनी, दण्डित, उग्र धोखाधड़ी, डोपिंग, यौन उत्पीडन आदि।
- 5.10 एक खिलाड़ी द्वारा पुरस्कार हेतु एक प्रशिक्षक की ही अभिशंषा की जा सकती है। खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक प्रशिक्षक की अभिशंषा करने पर दोनों प्रशिक्षकों के आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिस खिलाड़ी द्वारा एक प्रशिक्षक का नाम अभिशंषित कर दिया गया एवं भविष्य में पुनः कभी किसी अन्य प्रशिक्षक को अभिशंषित नहीं कर सकेगा। खिलाड़ी द्वारा अभिशंषा हेतु राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

6. नामांकन की पावती एवं रसीद :-

- 6.1 नामांकन के लिए आवेदन केवल सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को संबोधित किया जाना चाहिए तथा परिषद कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख ही परिषद द्वारा नामांकन की प्राप्ति की तारीख होगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों पर विधिवत मुहर लगाकर एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को प्राप्त आवेदनों की जानकारी संबंधित संस्था को दी जायेगी।

7. नामांकनों की प्रारम्भिक जांच :-

बिन्दू 5.1 में वर्णित संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आवेदनों को भारतीय ओलम्पिक संघ व खेल महासंघ में भेजा जाएगा। जहां पर कार्यालय दस्तावेजों में आवेदकों की उपलब्धियां व प्रदर्शन की जांच कर सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी।

8. जांच समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच :-

सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और परिषद के संबंधित खेल अधिकारी/खेल प्रबंधक को मिलाकर एक जांच समिति गठित की जाएगी। यह जांच समिति राज्य खेल संघों और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों की प्रारम्भिक जांच करेगी जिसमें सतर्कता, अनुशासन, डोपिंग, प्रमाण पत्रों का प्रमाणिकरण तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही पाये गये आवेदनों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।



9. चयन प्रक्रिया :-

- 9.1 राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा पुरस्कार हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा :-

1	माननीय राज्यमंत्री महोदय, खेल विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, खेल विभाग	सदस्य
3	अर्जुन अवार्डी	सदस्य
4	द्रोणाचार्य अवार्डी	सदस्य
5	क्रीडा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी एक खेल संघ के अध्यक्ष/सचिव	सदस्य
6	मुख्य खेल अधिकारी, रा.रा.क्री.प	सदस्य
7	खेल पत्रकार	सदस्य
8	सचिव, रा.रा.क्री.प. जयपुर	सदस्य सचिव

- 9.2 चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जहां आवश्यक हो संबंधित विशिष्ट खेल विषयों के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं।
- 9.3 सीधे या परोक्ष रूप से पुरस्कार के लिए नामित प्रशिक्षक से संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षक के विषय में चयन समिति की बैठक में व विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 9.4 समिति अपनी स्वयं के काम की प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश/मापदण्ड प्रस्तुत करेगी यदि कोई हो।
- 9.5 समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों का 75 प्रतिशत होगा।
- 9.6 समिति द्वारा यदि समिति की बैठक के विचार विमर्श के समय जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने आवश्यकता पड़ने पर खेल अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- 9.7 सभी चयन की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। अध्यक्ष समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श तथा चयन के सख्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए सचिव से परामर्श आवश्यक कदम उठा सकता है।

10. गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की संख्या :-

- 10.1 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की एक वित्तीय वर्ष में वरियता अनुसार चयनित 3 (पुरुष/महिला) प्रशिक्षकों को ही पुस्कृत किया जावेगा। एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित पुरस्कार की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी।
- सामान्य खिलाडी - 2 (पुरुष/महिला)
 - पैरा/डेफ/डम्प/ब्लाइण्ड/लाइफ टाईम अचीवमेन्ट - 1 (पुरुष/महिला)
- 10.2 चयन समिति द्वारा पुरस्कार हेतु योग्य प्रशिक्षक का चयन नहीं होने के उपरान्त पुरस्कार की संख्या 3 से कम की जा सकती है।

64

11. सामान्य नियम :-

- 11.1 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को परिषद द्वारा निश्चित व घोषित तारीख को प्रशस्ती पत्र, ब्लेजर का कपडा, टाई व 5,00,000/-रु. नकद भेंट किया जावेगा। साथ ही आने जाने का प्रथम श्रेणी का रेल किराया/बस किराया व स्थायी कन्वेन्स चार्ज के लिए नकद देय होंगे। पुरस्कार विजेता प्रशिक्षक राजस्थान खेल जगत मे विशिष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त करेंगे।
- 11.2 किसी भी प्रशिक्षक को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दो बार नहीं दिया जाएगा।
- 11.3 प्रशिक्षक को मरणोपरान्त भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है।
- 11.4 परिषद पुरस्कार विजेताओं के नामों को अन्तिम रूप देने से पहले प्रशिक्षकों का चरित्र सत्यापन अपने केन्द्रों के खेल अधिकारी/प्रभारी के मार्फत करवाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त करेंगे।
- 11.5 पुरस्कार वितरण समारोह के समय पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रशिक्षक स्वयं उपस्थित रहेगा, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को यह पुरस्कार व पुरस्कार राशि नहीं दिया जाएगा। जो पुरस्कृत व्यक्ति किसी कारणवश पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाएगा वो बाद में यह पुरस्कार अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर से प्राप्त कर सकता है।
- 11.6 परिषद् द्वारा पुरस्कार दिये जाने के बाद उसे रद्द करने का भी पूरा अधिकार होगा। ऐसी दशा में पुरस्कृत प्रशिक्षक को कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ती पत्र व पुरस्कार की राशि वापस जमा करानी होगी।
- 11.7 इन नियमों मे संशोधन, परिवर्तन आदि के लिए परिषद स्वतंत्र है तथा इसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है।
- 11.8 जिस प्रशिक्षक का नाम पुरस्कार के लिए प्रेषित किया जाता है। समझा जाता है कि उसे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के ये सब नियम मान्य है।
- 11.9 किसी भी प्रकार की सिफारिश पुरस्कार के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।
- 11.10 माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा विशेष परिस्थितियों में इन नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार होगा जिसके लिए स्पष्ट कारण अभिलेखित करना होगा।
- 11.11 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षक को नाम, महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा कराना होगा। प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण अगर प्रशिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने में विफल होता है तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
- 11.12 प्रशिक्षक राजस्थान का मूल निवासी हो।

- 11.13 यह पुरस्कार प्रत्येक खेल में या प्रत्येक वर्ष हेतु दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 11.14 नेशनल गेम्स एवं नेशनल चैम्पियनशिप के वहीं पदक विजेता खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने किसी अन्य राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया हो।
- 11.15 ऐसे प्रशिक्षक पात्र नहीं होंगे जिन्हें किसी अन्य राज्य द्वारा समतुल्य (Equivalent) पुरस्कार दिया गया हो, या उसे किसी अन्य राज्य द्वारा उस राज्य का निवासी मानते हुए किसी प्रकार से पुरस्कृत किया गया हो।

12. प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों के मापदण्ड

12.1 अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की महत्ता/भारिता (Weightage) निम्न क्रमानुसार होगी :

- I. ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/पैरा ओलम्पिक्स)
- II. चार वर्षीय वर्ल्ड कप एवं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
- III. एशियन गेम्स
- IV. कॉमनवेल्थ गेम्स
- V. वार्षिक व द्वैवार्षिक (Annual/Biennial) वर्ल्ड चैम्पियशिप जिसका आयोजन संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा किया गया हो।
- VI. एशियन चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
- VII. कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
- VIII. साउथ एशियन गेम्स
- IX. नेशनल गेम्स
- X. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप जिसका आयोजन राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है उन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ अर्जित एक पदक को ही सम्मिलित किया जाएगा।

12.2 खेलों के चयन हेतु दो कैटेगरी निम्नानुसार होगी :

- ❖ **A** कैटेगरी में भारतीय ओलम्पिक संघ तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल शामिल होंगे।
- ❖ **B** कैटेगरी में जो खेल भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है परन्तु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, वह खेल शामिल होंगे।



- 12.3 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए प्रति खिलाड़ी प्रतिभागिता पर दिये जाने वाले निर्धारित अंक :


क्र.सं.	स्पर्धा	पदक/अंक			
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभागी
1	ओलम्पिक	10	9	8	7
2	वर्ल्डकप/ चैम्पियनशिप (4 वर्ष)	8	7	6	4
3	एशियन गेम्स	8	7	6	4
4	कॉमनवेल्थ गेम्स	8	7	6	4
5	वर्ल्ड चैम्पियनशिप (1 व 2 वर्ष)	7	6	5	3
6	एशियन चैम्पियनशिप	6	5	4	2
7	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप	6	5	4	2
8	साउथ एशियन गेम्स	4	3	2	—
9	नेशनल गेम्स	4	3	2	—
10	नेशनल चैम्पियनशिप	4	3	2	—

नोट :- 'B' कैटेगरी वाले खेलों को उपरोक्त सारणी में से 50 प्रतिशत अंक देय होंगे।

- 12.4 बिन्दू I, III, IV, VI - ओलम्पिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार में वरीयता दी जाएगी।
- 12.5 उपर दी गई सूची के समतुल्य कोई प्रतियोगिता है तो चयन समिति निर्णय लेकर उपरोक्त सूची के 10 प्रतियोगिताओं के अनुसार अंक दे सकती है।
- 12.6 चयन समिति द्वारा दिये गये अंकों में 10% अंक प्रशिक्षक की योग्यता व प्रतियोगिता के स्तर जिसमें उसके खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया हो तथा उसका खेल प्रशिक्षण, अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण विद्यमान हो को अनुशंसा कर देय होगा।
- 12.7 ओलम्पिक/एशियन गेम्स/राष्ट्रमण्डल खेलों में जिसमें क्रिकेट और स्वदेशी खेल शामिल नहीं है। चयन समिति क्रिकेट व स्वदेशी खेलों में पुरस्कार (अधिकतम 2) प्रशिक्षकों का चयन उनके खेल प्रशिक्षण, अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण को देखते हुए चयन कर सकती है।
- 12.8 चयन समिति उपरोक्त मापदण्डों में निर्धारित अंकों के अनुसार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए प्रशिक्षकों का अंतिम चयन करेंगी।



- 12.9 वही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विचारणीय होंगी जिनमें कम से कम 6 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया हो।
- 12.10 वही राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं (National Championship) विचारणीय होंगी जिसमें कम से कम देश के 12 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के खिलाड़ियों/दलों ने भाग लिया हो।
- 12.11 सिर्फ वही दलीय प्रतिस्पर्धा (Team Event) एवं एकल प्रतिस्पर्धा (Individual Event) विचारणीय होंगे, जिनमें कम से कम 6 खिलाड़ियों/दलों ने भाग लिया हो।


(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
(RAS)
सचिव